

भाग-III

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए कि०मी० 133.00 से कि०मी० 170.00 (बेरीनाग- चकोड़ी - काण्डा- बागेश्वर - ताकुला अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण कार्य

लम्बाई - 37.00 किमी०


(प्रस्ताव संख्या 151113/2022)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 10.05.2022।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 13.05.2022

स्थान:- अल्मोड़ा।


(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा